(ii) Need to declare 'Giri-Par' region in Himachal Pradesh as a Scheduled Tribe area

डॉ. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के 'गिरि-पार' के उस क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिस क्षेत्र में "हाटी" जनजाति बहुतायत में रहती है।

महोदय, एक ओर उत्तरांचल का जौंसार बाबर क्षेत्र है, जिसे भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्र घोषित कर रखा है और दूसरी ओर हिमाचल का गिरी नदी के उस पार का क्षेत्र, गिरी-पार है, जहां की समस्याएं, रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेषभूषा सभी एक समान है, परन्तु जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

महोदय, उस क्षेत्र के भोले-भाले लोग आज के विकासशील युग में भी पुरानी मान्यताओं व संयुक्त परिवार प्रथा का पालन करते हुए कठिन जीवन यापन कर रहे हैं। भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था लिए वहां का जनसमुदाय आज भी पारस्परिक विवादों का निर्णय ग्राम पंचायत खुमली में ही करता है और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होता है।

मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि हिमाचल क्षेत्र में बसे "हाटी" समुदाय को उनका अधिकार दें और इस विसंगति को दूर कर अनुच्छेद-6 के तहत उस क्षेत्र को शीघ्रतिशीघ्र जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए।